अपील सूचना अधिकार संख्या 166/2020 (GCMS 2020/00289)(पोस्ट ऑर्डर नं. 48एफ–446937)राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

11.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 23.11.2020 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. ....
4. उपरोक्त दोनों अधिकारी लोक सूचना अधिकारी है व सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ही दोनों अधिकारी हैं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण एवं पदाधिकारी है। जांच करवाकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनिमय 2005 की धारा 20(1) के अन्तर्गत शास्ती अधिरोपित करने बाबत सूचना।
5. उपरोक्त दोनों अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी है। मिथ्या सूचना देने वाले सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही कर सूचना कार्यावाही की देने बाबत।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6. उपरोक्त अधिकारी में दोषी अधिकारी पाये जाने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत सूचना।
7. दोषी अधिकारी के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(2) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत सूचना व कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. आर.टी.आई. की धारा 19(8)ख के अन्तर्गत प्रार्थी को खर्चा हेतु हर्जाना दिलाये जाने की सूचना।

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 332 दिनांक 04.12.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संलग्न इस शाखा को प्राप्त पत्र (पोस्टल ऑर्डर नं. 48 एफ—446937) के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना के अधिकार के तहत सूचना इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी
> जिला अभिलेखागार
> कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी का कब्जा हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:29 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर